

सराहनीय कार्य जनपद-सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 31-08-2020

पुलिस मुठभेड़ में 25,000 ₹ का इनामी अंतर्जनपदीय लुटेरा गिरफ्तार ।

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिये गए हैं । इसी क्रम में दिनांक 30-08-2020 को श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक-सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप यादव, क्षेत्राधिकारी-सदर के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री अवध नारायण यादव, प्रभारी निरीक्षक, थाना-लोटन, व श्री पंकज कुमार पाण्डेय, प्रभारी-एस0ओ0जी0 मय टीम द्वारा संयुक्त रूप से घोघी नदी पुल के पास चेकिंग कर रहे थे कि मुखबीर खास द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति लोटन कस्बे में मोटरसाइकिल से ग्राहक सेवा केन्द्र तथा एस0बी0आई0 व पूर्वाचल बैंक का बार-बार चक्कर लगा रहा है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है । उक्त सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक लोटन व एस0ओ0जी0 प्रभारी द्वारा पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दे कर सतर्कता से चेकिंग शुरू कर दिया गया । एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से घोघी नदी की तरफ आता दिखाई पड़ा जिसे मुखबीर ने इशारा किया कि यह वही व्यक्ति है । पुलिस टीम द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया तो वह मोटरसाइकिल बंधे की तरफ मोड़कर भागने का प्रयास किया कि मोड़ पर ही गिर गया । गिरते ही उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से दो राउण्ड फायर किया गया । पुलिस टीम द्वारा भी अपनी आत्मरक्षा में दो राउण्ड फायर किया गया । जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई । जिसको हिकमत अमली से हिरासत पुलिस में **समय रात्रि 21:35 बजे** लेकर नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोटन में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, बाद प्राथमिक उपचार जिला-चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में रेफर किया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना लोटन पर **मु0अ0सं0 96/2020 धारा 307,420,467,468,471 भादवि0, 3 महामारी अधि0, 51 आपदा प्रबंधन अधि0 व 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । उक्त अभियुक्त थाना पनियरा जनपद महाराजगंज से ग्राहक सेवा केन्द्र से लूट के मुकदमें में वांछित चल रहा था जिस पर ₹0 25000/- का इनाम घोषित है ।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- जितेन्द्र निषाद पुत्र राममिलन निषाद साकिन महाराजगंज टोला भेलिनपुर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर ।

बरामदगी का विवरण -

- 1- नकद ₹0 1100/-
- 2- एक अदद कट्टा 315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर ।
- 3- एक अदद पल्सर मोटरसाइकिल UP - 55 CZ - 4912 गलत नम्बर हैं । (UP - 53 CZ - 4912 सही नम्बर हैं)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 60/20 - धारा 392,411,120 भादवि0 थाना पनियरा जनपद महाराजगंज ।
- 2- मु0अ0सं0 573/19 - धारा 406,323,506,504 भादवि0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर ।
- 3- मु0अ0सं0 307/18 - धारा 147,434 भादवि0 थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर ।
- 4- मु0अ0सं0 02/18 - धारा 147,148,149,307,332,353,504,506 भादवि0 व ¼ सार्वजनिक सम्पत्ती अधिनियम व 7 सीएलए अधिनियम थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर ।
- 5- मु0अ0सं0 164/16 - धारा 147,148,452,,323,427,379,352,376,511 भादवि0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर ।
- 6- मु0अ0सं0 36/18 धारा 392 भादवि0 थाना बरहज जनपद देवरिया ।
- 7- मु0अ0सं0 40/18 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बरहज जनपद देवरिया ।
- 8- मु0अ0सं0 172/18 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम थाना बरहज जनपद देवरिया ।

नोट:- उपरोक्त मुकदमों के अतिरिक्त जनपद देवरिया में भी अभियुक्त के विरुद्ध लूट के मुकदमें पंजीकृत है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

01. श्री अवध नारायण यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. श्री पंकज कुमार पाण्डेय, प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. आरक्षी राजीव शुक्ला, एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
04. आरक्षी आनंद प्रकाश यादव, एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

05. आरक्षी अवनीश कुमार सिंह, एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
06. आरक्षी पवन तिवारी, एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
07. आरक्षी मृत्युंजय कुशवाहा, एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
08. आरक्षी अखिलेश यादव, एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

नोट:- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस महानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती द्वारा 15,000/- रू. का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया है ।

प्रेस नोट दिनांक : - 31-08 -2020

आज दिनांक 31 अगस्त 2020 को श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन्स स्थित सभागार कक्ष में आयोजित विदाई समारोह में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके 1- श्री सुभाष यादव, निरीक्षक (लिपिक), 2- श्री जय प्रकाश सिंह, उ0नि0 ना0पु0, 3- श्री कन्हैया लाल, उ0नि0 ना0पु0 को उनके सेवानिवृत्त पर पुष्पमाल,शाल,धर्मग्रन्थ आदि देकर उक्त कर्मियों की सुखद तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना कर विदा किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, के आदेशानुसार, श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप यादव, क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरूआ के नेतृत्व में आज दिनांक 04.01.2020 को मुडिला बढ्नी रेलवे क्रासिंग के पास चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक अदद 315 बोर कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ढेबरूआ पर 3/25 व 4/25 आम्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय/ जेला भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-विजय जायसवाल उर्फ पहाड़िया पुत्र गोविंद जायसवाल साकिन मुडिला थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर । (एक अदद 315 बोर कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस)

02- धर्मेन्द्र गौड पुत्र मिठाई लाल साकिन मुडिला थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर । (एक अदद नाजायज़ चाकू)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. श्री महेश सिंह उ0नि0चौकी प्रभारी बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. मुख्य आरक्षी विजय यादव चौकी बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र प्रजापति चौकी बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- आरक्षी अनिल यादव चौकी बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

बरामदगी का विवरण -

- 01-एक अदद 315 बोर तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस
- 02-एक अदद चाकू नाजायज़ बरामद ।



सराहनीय कार्य जनपद-सिद्धार्थनगर
प्रेस नोट दिनांक 31-08-2020

पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रु0 का इनामी अंतर्जनपदीय लुटेरा गिरफ्तार ।

श्री विजय दुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिये गए हैं। इसी क्रम में दिनांक 30-08-2020 को श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक-सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप यादव, क्षेत्राधिकारी-सदर के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री अवध नारायण यादव, प्रभारी निरीक्षक, थाना-लोटन, व श्री पंकज कुमार पाण्डेय, प्रभारी-एस0ओ0जी0 मय टीम द्वारा संयुक्त रूप से घोधी नदी पुल के पास चेकिंग कर रहे थे कि मुखबीर खास द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति लोटन कस्बे में मोटरसाईकिल से ग्राहक सेवा केन्द्र तथा एस0बी0आई0 व पूर्वांचल बैंक का बार-बार चक्कर लगा रहा है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। उक्त सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक लोटन व एस0ओ0जी0 प्रभारी द्वारा पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दे कर सतर्कता से चेकिंग शुरू कर दिया गया। एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से घोधी नदी की तरफ आता दिखाई पड़ा जिसे मुखबीर ने इशारा किया कि यह वही व्यक्ति है। पुलिस टीम द्वारा उक्त मोटरसाईकिल को रोकने का प्रयास किया गया तो वह मोटरसाईकिल बंधे की तरफ मोड़कर भागने का प्रयास किया कि मोड़ पर ही गिर गया। गिरते ही उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से दो राउण्ड फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा भी अपनी आत्मरक्षा में दो राउण्ड फायर किया गया। जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई। जिसको हिकमत अमली से हिरासत पुलिस में समय रात्रि 09:35 बजे लेकर नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोटन में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, बाद प्राथमिक उपचार जिला-चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में रेफर किया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना लोटन पर मु0अ0सं0 96/2020 धारा 307,420,467,468,471 भादवि0, 3 महामारी अधि0, 51 आपदा प्रबंधन अधि0 व 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियुक्त थाना पनियरा जनपद महाराजगंज से ग्राहक सेवा केन्द्र से लूट के मुकदमें में वांछित चल रहा था जिस पर रु0 25000/- का इनाम घोषित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- जितेन्द्र निषाद पुत्र राममिलन निषाद साकिन महाराजगंज टोला भेलिनपुर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का विवरण -

- 1- नकद रु0 1100/-
- 2- एक अदद कट्टा 315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
- 3- एक अदद पल्सर मोटरसाईकिल UP - 55 CZ - 4912 गलत नम्बर हैं। (UP - 53 CZ - 4912 सही नम्बर हैं)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 60/20 - धारा 392,411,120 भादवि0 थाना पनियरा जनपद महाराजगंज।
- 2- मु0अ0सं0 573/19 - धारा 406,323,506,504 भादवि0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
- 3- मु0अ0सं0 307/18 - धारा 147,434 भादवि0 थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर।
- 4- मु0अ0सं0 02/18 - धारा 147,148,149,307,332,353,504,506 भादवि0 व ¾ सार्वजनिक सम्पत्ती अधिनियम व 7 सीएलए अधिनियम थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर।
- 5- मु0अ0सं0 164/16 - धारा 147,148,452,,323,427,379,352,376,511 भादवि0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

नोट:- उपरोक्त मुकदमों के अतिरिक्त जनपद देवरिया में भी अभियुक्त के विरुद्ध लूट के मुकदमें पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

01. श्री अवध नारायण यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
02. श्री पंकज कुमार पाण्डेय, प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
03. आरक्षी राजीव शुक्ला, एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

नोट- थाना बरहज जनपद देवरिया

- 01 → मु0अ0सं0 36/18 धारा 392 भादवि0।
- 02 → मु0अ0सं0 40/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।
- 03 → मु0अ0सं0 174/18 धारा 31(A) भोगेदार एक्ट।

थाना- बरहज जनपद-देवरिया

